



20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध प्र०क० १०/५ — एक/2016 जिला — जबलपुर

रामसिंह गौड़ उम्र 41 वर्ष पिता नबल सिंह गौड़
निवासी ग्राम परासिया थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1. म०प्र० शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

2. श्री विष्णु कुशवाहा पिता?

श्री किशोरीलाल कुशवाहा

निवासी शॉप नंबर 18, प्रथम तल,

राबरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,

कटंगा जबलपुर

----- अनावेदकगण

दिनांक 7-1-17
श्री विष्णु कुशवाहा
श्री किशोरीलाल कुशवाहा
निवासी शॉप नंबर 18, प्रथम तल,
राबरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
कटंगा जबलपुर
07/04/17

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
(इस न्यायालय द्वारा प्र०क० निग० 3210-एक/16 में पारित आदेश
दिनांक 21-9-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त क्रमांक 3 में वृद्धि
बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 3210-एक/16 में दिनांक 21-9-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. यहकि, आदेश की शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।
3. यहकि, आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर विक्रयपत्र पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुआ किंतु उप पंजीयक द्वारा इस आधार पर विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं किया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष द्वारा उन्हें यह निर्देश दिए

R/nc

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 9014-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3210-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-9-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि केता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगुनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केता द्वारा दुगुनी राशि की व्यवस्था करने में समय लगने की बात कही जा रही है, उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और और उक्त अवधि दिनांक 20-1-17 को समाप्त हो रही है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरान्त न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 3210-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-1-17 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	  सदस्य

R
Me